(3)

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 33/2020 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

रकार जरिये देवेन्द्र सिंह राणावत खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा – **प्रार्थी**	**बनाम**	1. श्री जगदीश पुत्र भगवान दास मगनानी मैसर्स जगदीश ट्रेडर्स, मिलन टॉकिज रोड, हरि सेवा धर्मशाला के पास, भीलवाडा 2. श्री सुनील कुमार पुत्र धर्मदास मगनानी, मैसर्स मिनाक्षी स्टोर्स, बाजार नम्बर 2, भीलवाडा 3. श्री अनिल कुमार पुत्र चन्दरमल भोजवानी मैसर्स एस.एस.डी. एन्टरप्राईजेज, एच– 31, इलेक्ट्रोनिक कॉम्पलेक्स, आई.पी.आई.ए.रोड नं. 1 कोटा, राजस्थान ––**विपक्षी**

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 52

उपस्थित–

1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार उपस्थित

2 विपक्षीगण स्वयं उपस्थित

आदेश

दिनांक 29-1-.2021

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक प–1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा ने विपक्षी के विरूद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं, कि विपक्षी जगदीश पुत्र भगवान दास मगनानी मैसर्स जगदीश ट्रेडर्स, मिलन टॉकिज रोड, हरि सेवा धर्मशाला के पास, भीलवाडा का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को उपयोग हेतु पान मिक्सर (अमर प्रेम ब्राण्ड) इत्यादि का विक्रय कर रहा था । जगदीश पुत्र भगवान दास मगनानी मैसर्स जगदीश ट्रेडर्स, मिलन टॉकिज रोड, हरि सेवा धर्मशाला के पास, भीलवाडा का विकेता एवं गवाह की उपस्थिति में निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय बाबत् पान मिक्स (अमर प्रेम ब्राण्ड) की 200–200 ग्राम की कुल 48 सील्ड पोलीपेक रखी थी। मिलावट व मिसब्राण्ड का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006) भीलवाडा (राज.)

मानक अधिनियम, 2006 के तहत खाद्य नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना खाद्य कारोबारकर्ता को फार्म V-A में दी एवं रसीद प्राप्त की। न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णयन आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षैत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, फार्म 5 **ए** की प्रति,रसीद नमूना खरीद मूलप्रति, मौका फर्द प्रति, फर्म के खाद्य लाईसेंस की प्रति खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को वास्ते जाँच जमा करवाने के प्रेषित पत्र एवं नमूना जमा होने की प्राप्ति रसीदे, फॉर्म–6 मेमोरेण्डम, खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र, अभिहित अधिकारी को पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत् लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 03.10.2019 को समय 02.50 PM बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने चैकिंग हेतु जगदीश पुत्र भगवान दास मगनानी मैसर्स जगदीश ट्रेडर्स, मिलन टॉकिज रोड, हरि सेवा धर्मशाला के पास, भीलवाडा पर पहुंचा। मैंने विक्रेता को परिचय दिया परिचय पत्र दिखाया एवं विक्रेता का परिचय लिया। उस समय दुकान पर खाद्य विक्रेता/मैनेजर की हैसियत जगदीश पुत्र भगवान दास मगनानी मैसर्स जगदीश ट्रेडर्स, मिलन टॉकिज रोड, हरि सेवा धर्मशाला के पास, भीलवाडा उपस्थित था एवं आम जनता को उपयोग हेतु पान मिक्सर (अमर प्रेम ब्राण्ड) इत्यादि का विक्रय कर रहा था। विक्रेता से मौके पर फर्म के खाद्य लाईसेंस की प्रति मांगी गई। विक्रेता ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य अनुज्ञा पत्र होना बताया।

मौके पर गवाह एवं विक्रेता की उपस्थिति में खाद्य पदार्थ पान मिक्सर (अमर प्रेम ब्राण्ड) की 200–200 ग्राम की 12 सील्ड पोलीपेक खाद्य कारोबारकर्ता से नमूना वास्ते जाँच हेतु एफएसएसए एक्ट 2006 के तहत खरीदे एवं इस बाबत 360/– रूपये देकर रसीद प्राप्त की।

इन खरीदशुदा 4 पैक्ड पैकेटों को गवाहों एवं विक्रेता के सामने चार लेबल नियमानुसार भरकर उन पर श्रीमान् अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) के कोड एवं क्रमांक एक्स–779 दर्ज कर विक्रेता, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर व मैंनें स्वयं ने हस्ताक्षर कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये। प्रत्येक नमूना भाग को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेट कर एवं किनारों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग पर पेपर स्लिप कोड़ एवं सीरीयल नं. एक्स–779 जो अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा हस्ताक्षरित थी, को चारों नमूना भागों पर सिर से लेकर पेंदे तक एवं पेंदे से सिर तक लगातार नियमानुसार गोंद से चिपकाकर मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह उपर नीचे एवं दोनों साइडों पर सील चपड़ी किया नमूना भागों पर नमूने का विवरण अंकित कर मैनें व गवाहों

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

(5)

ने हस्ताक्षर किये। चारों सील्ड नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। मौका फर्द तैयार कर पढकर, पढाकर, समझाकर, होशोहवास में हस्ताक्षर करने को कहा गया जिसे सभी ने सत्य मानकर हस्ताक्षर किये। सभी कार्यवाही गवाहों व विक्रेता के सामने पूर्ण की गई। जिस सील से नमूना भागों को सील चपडी किया था उसका मोनोग्राम मौके पर फर्द पर अंकित किया गया साथ ही मेरे द्वारा मौके पर गवाह की उपस्थिति में विक्रेता को लिए गये नमूने के IV Part की जाँच एक्रीकेटेड लेब में करवाने की सूचना भी दे दी गई थी।

खाद्य नमूना सं. एक्स 779 के एक सीलबन्द भाग को फार्म नं. 6 की एक प्रति के साथ जिस पर वहीं सील नमूना अंकित था जो मैनें नमूना लेते समय काम मे ली थी। एक आउटर कवर में बंद कर, नमूने का विवरण एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला का नाम व पता लिखकर श्री बाबूलाल पायक, च.श्रे.क. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, अजमेर एवं फार्म नं. 06 की दो प्रतियां एक लिफाफे में बंद कर भिजवाई गई।

खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट सं. L.S./103/FSSA/2019/103 दिनांक 15.10.2019 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया, खाद्य नमूना सं. एक्स – 779 पान मिक्सर (अमर प्रेम ब्राण्ड) मिसब्राण्डेड (Misbranded) होना पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवदेन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने बाबत् अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को में पेश किया। जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा प्रार्थी को अधिकृत किया और आदेश दिया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल कागजात एवं सम्बन्धित कारोबारकर्ता को नियम 2.4.6(1) के तहत प्रस्तुत रजिस्टर्ड पत्र एवं रजिस्टर्ड डाक की पोस्टल रसीद भी मूल प्रति सहित न्याय निर्णयन आवेदन के साथ प्रस्तुत कर अंकित किया है कि विपक्षी जगदीश पुत्र भगवान दास मगनानी मैसर्स जगदीश ट्रेडर्स, मिलन टॉकिज रोड, हरि सेवा धर्मशाला के पास, भीलवाडा द्वारा मिसब्राण्डेड पान मिक्सर (अमर प्रेम ब्राण्ड) का विक्रय कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 में निर्धारित है। खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नही होने के कारण इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 12.10.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 27.11.2020 को कार्यालय हाजा में स्वंय या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। मामले में विभागीय पैरोकार उपस्थित। विपक्षी स्वयं उपस्थित।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक ... 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

(6)

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी का खाद्य नमूना मिसब्राण्डेड होना पाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर की जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि पान मिक्सर (अमर प्रेम ब्राण्ड) नमूना एक्स–779 में Batch No. Not Given, Date of Mfg./Pkg. Not given, FSSAI License No. Not Given. contavention of regulation no. 2.2.2.8, 2.2.2.9, 2.2.2.5(ii) and 2.2.1.7 of Food Safety and Standards (Packaging and Labelling)Regulation 2011. इस प्रकार विपक्षी द्वारा **Food Safety and standards** (packaging & labelling) Regulation, 2011 का उल्लघंन कर मिसब्राण्डेड पान मिक्सर (अमर प्रेम ब्राण्ड) का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया हैं। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 मे निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षी के विरूद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है।

विपक्षीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जो सैम्पल लिया गया है उसमें चैरी की मिठास है। सेकरीन का उपयोग नही किया गया हैं। मिस ब्राण्ड के प्रश्न पर भविष्य में सुधार कर नया पोलीपैक प्रिन्ट करवा देगें। लिया गया सैम्पल केवल मात्र माउस फ्रैशनर हैं। आम जीवन के उपयोग के लिये हानिकारक नही हैं। प्रथम बार मिसब्राण्ड की हुयी गलती को माफ करते हुए प्रकरण में कार्यवाही समाप्त करावें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट सं. L.S./103/FSSA/2019/103 दिनांक 15.10.2019 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया, खाद्य नमूना सं. एक्स –779 पान मिक्सर (अमर प्रेम ब्राण्ड) मिसब्राण्डेड (Misbranded) होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर की जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि पान मिक्सर (अमर प्रेम ब्राण्ड) नमूना एक्स–779 Batch No. Not Given, Date of Mfg./Pkg. Not given, FSSAI License No. Not Given. contavention of regulation no. 2.2.2.8, 2.2.2.9, 2.2.2.5(ii) and 2.2.1.7 of Food Safety and Standards (Packaging and Labelling)Regulation 2011. इस प्रकार विपक्षी द्वारा **Food Safety and standards** (packaging & labelling) Regulation, 2011 का उल्लघंन कर मिसब्राण्डेड पान मिक्सर (अमर प्रेम ब्राण्ड) का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया हैं। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 मे निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षीगण द्वारा मिसब्राण्डेड पान मिक्सर (अमर प्रेम ब्राण्ड) का निर्माण एवं विक्रय किया गया है, जो कि खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं पैकेजिंग एवं लेबलिंग विनिमय 2011 के प्रावधानों का उल्लघंन है।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

7

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षीगण संख्या 01 से 03 को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी संख्या 01 से 03 द्वारा उल्लघंन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत विपक्षी पर 5,000/-रूपये (अक्षरे पांच हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी संख्या 01 से 03 उपरोक्त शास्ति निर्णय दिनांक से 03 माह के अन्दर शास्ति राशि कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में जमा करा कर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय आज दिनांक 29-1-.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1 खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक(जनस्वास्थ्य)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राजस्थान जयपुर

2 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा।

3 श्री जगदीश पुत्र भगवान दास मगनानी मैसर्स जगदीश ट्रेडर्स, मिलन टॉकिज रोड, हरि सेवा धर्मशाला के पास, भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा, चालान जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे।

4 श्री सुनील कुमार पुत्र धर्मदास मगनानी, मैसर्स मिनाक्षी स्टोर्स, बाजार नम्बर 2, भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा, चालान जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे।

5 श्री अनिल कुमार पुत्र चन्दरमल भोजवानी मैसर्स एस.एस.डी. एन्टरप्राईजेज, एच- 31, इलेक्ट्रोनिक कॉम्पलेक्स, आई.पी.आई.ए.रोड नं. 1 कोटा, राजस्थान को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा, चालान जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा